

प्रेमचन्द के साहित्य में वृद्ध विमर्श

प्रियांशु कुमारी

शोध छात्र

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

डॉ. सरिता सिन्हा

शोध निर्देशिका सहायक प्राध्यापिका (हिन्दी विभाग)

ए० एन० कॉलेज, पटना

सारांश : वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है, जिसका इलाज प्यार, स्नेह और सम्मान आदि के द्वारा ही संभव है। जब यह अवस्था अपने अवसान के द्वार तक पहुँचती है तब तक वृद्ध कमजोर शुष्क तथा थक चुके होते हैं। उसे उस समय किसी ऐसे व्यक्ति की चाह होती है, जो उसे ढाँढस बँधाये और उससे अपनत्व दिखाये। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में भी अपनों से सहारा मिला हो, उनसे अपने दुःख दर्द को बाँटा हो। वैसे तो औसत रूप से साठ साल की आयु के बाद से मृत्यु तक बुढ़ापा या वृद्धावस्था माना जाता है। मनुष्य के जीवन की यह ढलान बड़ी कष्टकर होती है। व्यक्ति को बचपन में जितने चुंबन बिना माँगे मिल जाते हैं, बुढ़ापे में उससे कई गुना चिढ़न का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति अपनी जबाबदेहियों को पूरा करने में इतना मशरूफ रहता है कि उसे बूढ़ा होने के एहसास को भी एहसास करने की फुरसत नहीं होती है। किंतु प्रकृति का नियम तो अटल है - " बलगामी खासती रातें और गठियाएँ दिन की, कोई आकांछा नहीं करता और ये किसी को छोड़ते भी नहीं।"¹

प्रस्तावना :

प्रेमचन्द युग 1918 ई० से 1936 ई० तक माना जाता है। इससे पहले के उपन्यासों में चमत्कार, जासूसी, रहस्य, कल्पना, सामाजिक आंदोलन आदि का चित्रण हुआ था। परंतु प्रेमचन्द ने समस्या प्रधान सामाजिक उपन्यासों की रचना करके साहित्य में नवीन विचारधारा को बढ़ावा दिया है। हिन्दी कथा साहित्य में प्रेमचन्द का योगदान अतुलनीय है। इन्होंने बहुत कम समय में लोकप्रियता और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इन्होंने समाज के किसी विशेष वर्ग पर केन्द्रित न होकर बल्कि समाज के सभी वर्ग तथा सभी समस्या को ध्यान में रखकर रचनाएँ की हैं। शायद ही कोई विषय होगा जो प्रेमचन्द से अछूता होगा। प्रेमचन्द ने समाज के सभी वर्गों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर लोगों को समकालीन सामाजिक समस्या से अवगत कराया। ऐसी ही एक समस्या है- वृद्धावस्था की समस्या, जो कि वर्तमान समय में हर वृद्ध व्यक्ति के लिए चुनौती बन गई है। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में कई स्थानों पर वृद्धों के जीवन की समस्याओं को उठाया है। कर्मभूमि, निर्मला, गोदान जैसे ऐसी ही सामाजिक समस्याएँ इस उपन्यासों में देखने को मिलती हैं।

'कर्मभूमि' उपन्यास 1932 ई० में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचन्द कृत इस उपन्यास में समाज की अनेक समस्याओं को इंगित किया गया है। "जैसे - वर्ग संघर्ष, साम्प्रदायिकता, अछूतों का मन्दिर में प्रवेश, सामूहिक बलात्कार, किसानों से लगान वसूल करना, ग्रामीण समस्याएँ, अहिंसात्मक आंदोलन, अधिकारों का हनन, लोकतांत्रिक, अंग्रेजी हुकूमत, स्वतंत्रता आन्दोलनों में महिलाओं की भागीदारी, पराधीनता, महाजनी व जमींदारी दहेज प्रथा, पीढ़ीगत वैचारिक संघर्ष, अशिक्षा, भेदभाव, पारिवारिक सम्बन्धों में कड़वाहट आदि।"² इस उपन्यास में तीन वृद्ध हैं- समरकान्त, पठानिन, रेणुका देवी। इस में समरकान्त जो कि वृद्ध हैं, एक महाजन भी है। समरकान्त उसके बेटे

अमरकान्त के विचार कभी मेल नहीं खाते हैं, जिस कारण दोनों में हमेशा तनाव बना रहता है। ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाते हैं, और हमेशा वैचारिक मतभेद बना रहता है। जब बहु सुखदा समरकान्त की जीवन संध्या में मिलने आती है, तब समरकान्त के दिल का दर्द कुछ इस भाव से बाहर आता है - " माँ - बाप की कामना तो यही होती है की उनकी संतान को कोई कष्ट न हो। जिस तरह उन्हें मरना पड़ा। जिस तरह उन्हें धक्के खाने पड़े, कर्म - अकर्म सब करने पड़े, वे कठिनाइयाँ उनकी सन्तान को न झेलनी पड़ी।"³

इसी उपन्यास में पठानिन तथा रेणुका देवी दो वृद्धा है और विधवा भी। पठानिन का भरापूरा परिवार है, फिर भी वो अकेली है। पठानिन के पति खाँ साहिब समरकान्त के दुकान पर काम करते थे। खाँ साहिब के जाने के बाद समरकान्त पठानिन को 5 रु० महिने के देते थे, जिससे उसका गुजर बसर होता था। इधर रेणुका देवी को एक बेटी है। जिसके शादी के बाद वो अकेली है और अकेले होने के कारण काशी चली जाती है वहीं अपना जीवन बिताती है। रेणुका देवी वृद्धावस्था में भी एक सक्रिय समाज सेविका के रूप में नजर आती है। ये निर्धनों के मदद के लिए ट्रस्ट भी खुलवाती है और उसे आगे भी बढ़ाती है। इस प्रकार 'कर्मभूमि' उपन्यास में प्रेमचन्द ने वृद्ध पात्र के रूप में समरकान्त, रेणुका देवी और पठानिन का चित्रण किया है। समरकान्त एक वृद्ध उपेक्षित पिता के रूप में चित्रित है। दूसरी ओर रेणुका देवी और पठानिन अपनी पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। इस प्रकार प्रेमचन्द के उपन्यास में वृद्धावस्था का चित्रण देखने को मिलता है।

प्रेमचन्द के दूसरे उपन्यास 'निर्मला' में मनोवैज्ञानिक तथा यथार्थवाद का चित्रण है। इसका प्रकाशन 1927 ई० में हुआ था। इस उपन्यास में अनमेल विवाह अर्थात् वृद्ध विवाह और दहेज प्रथा के बुरे प्रभावों को अंकित किया गया है। इस उपन्यास में मुंशी तोताराम और रुक्मणी वृद्ध हैं। समकालीन समाज में नारी स्वतंत्रता से अपना जीवन नहीं जी पाती है, इसी कारण निर्मला के सिर से पिता का साया उठ जाने और माँ के पास दहेज ना होने के कारण 15 वर्ष की उम्र में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति मुंशी तोताराम जो कि तीन बच्चे के पिता है, से विवाह करना पड़ता है। तोताराम निर्मला से विवाह करता है कि उनका परिवार पूरा हो जाये। बच्चों को माँ मजिल जाये, उनका घर स्वर्ग बन जाये। परन्तु हुआ उसका उल्टा, हँसता - खेलता परिवार दर्दशा की बलि चढ़ गया। बुढ़ापे में तोताराम पत्नी निर्मला तथा बेटे जियाराम को शक की दृष्टि से देखने लगता है, जिससे परिवार के सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं। उधर बेटे जियाराम भी आत्महत्या कर लेता है। तोताराम की विधवा बहन रुक्मिणी देवी जिसकी उम्र पचास से कुछ अधिक है, तीनों बच्चों को सम्भालती हुई तोताराम के घर में रहती है। निर्मला के आने से घर में वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ होने लगती है और परिवार में हमेशा कलह की स्थिती बनी रहती थी।

इस उपन्यास में तोताराम और रुक्मिणी देवी वृद्धावस्था में आकर भी सुखद जीवन के लिए संघर्ष करते दिखते हैं। दोनों को परिवार का सुख नहीं मिला। तोताराम ने बुढ़ापे में विवाह किया, परन्तु अपने से बहुत कम उम्र की लड़की से किया, जिसके कारण उन्हें पछताना पड़ा। रुक्मिणी देवी ने बुढ़ापे में आराम के बजाय अर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ा। 'गोदान' 1936 ई० में प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। गोदान को हिंदी साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। प्रेमचंद ने भारतीय मूल आत्मा को इस उपन्यास में चित्रित किया है। यह उपन्यास साहित्य जगत की चुनौतियों पर खरा उतरता है।" इस उपन्यास में उन्होंने वृद्ध होरी तथा भारत के अन्नदाताओं किसानों के जीवन की समस्याओं को सार्थक रूप में चित्रित किया है। होरी ने जीवनभर संघर्ष किया परन्तु फिर भी जमींदार से किया कर्जा न चुका सका। अन्त में होरी की मृत्यु हो जाने के बाद होरी की पत्नी धनिया पंडित से कहते हुए दिखाई देती है, होरी के नाम का गोदान कर दीजिए।^४

हिन्दी कथा साहित्य में प्रेमचंद का नाम अग्रणीय रहता है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपने कथा साहित्य में स्थान दिया। ऐसी ही एक समस्या वृद्ध जीवन की है जिसका चित्रण प्रेमचंद के साहित्य में देखने को मिलता है। "वृद्ध महिलाओं में बूढ़ी काकी, विध्वंस की भुनगी, बेटों वाली विधवा की फूलमती और सुभागी की माँ अपने ही परिवार द्वारा अपमानित, प्रताड़ित और शोषित होती दिखती है। वहीं मन्त्र कहानी का भगत अस्सी वर्ष की अवस्था में भी निःस्वार्थ सेवा और कर्तव्य के प्रति समर्पित भाव रहता है।"^५

निष्कर्ष:-

प्रेमचंद के उपन्यासों में वृद्ध पात्रों की बहुलता देखने को मिलता है। जिसके उदाहरण स्वरूप पात्र 'कर्मभूमि' उपन्यास के समरकान्त, पठानिन और रेणुका देवी हैं। 'निर्मला' उपन्यास में अर्धेड उम्र में वृद्ध विवाह करके तोताराम समस्या ग्रस्त पात्र बन जाता है। वहीं रुक्मिणी देवी कम उम्र में विधवा होकर संघर्षमय जीवन बिता रही हैं। 'गोदान' का होरी राम किसान जीवन में मेहनत, मजदूरी करता वृद्ध है, जो वृद्धावस्था के दौरान भी कर्ज में डूबा हुआ और जमीन बचाने के लिए संघर्ष करता दिखता है।

प्रेमचंद ने समय - सापेक्ष अपनी रचनाओं में वृद्धजन की स्थिति की चर्चा कर अपने साहित्यकार होने का प्रमाण दिया है। प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी - यथार्थ के लेखक हैं। फलतः उन्होंने अपने साहित्य में वृद्धजन की समस्या को उजागर करके नैतिक और आदर्शवादी समाधान भी सुझाया है। आज हमारे समाज में वृद्धजन के प्रति उदासीनता और उपेक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। अतः प्रेमचंद की रचनाओं में उद्धृत वृद्ध विमर्श वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है।

संदर्भ :-

1. सहायक प्राध्यापक हिंदी, रामजयपाल महाविद्यालय, धपरा।
2. हिन्दी कथा साहित्य में वृद्धावस्था का यथार्थ - डॉ० अंकिता शर्मा, पृ० 77
3. कर्मभूमि - प्रेमचंद, पृ० - 88
4. हिन्दी कथा साहित्य में वृद्धावस्था का यथार्थ - डॉ० अंकिता शर्मा, पृ० 83
5. हिन्दी कथा साहित्य में वृद्धावस्था का यथार्थ - डॉ० अंकिता शर्मा, पृ० 95

बालको के विकास में बाल पत्रकारिता का योगदान

डॉ.शशि प्रभा जैन

प्रोफेसर

अविनाश लिंगम विश्वविद्यालय कोयम्बतूर

शोध का सार - बालक देश के दर्पण होते हैं। वे राष्ट्र की मुस्कराहट हैं। बालकों में वर्तमान करवटें लेता है और भविष्य के बीज उसी में बोये जा सकते हैं। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना है। इन तीन उद्देश्यों में सम्पूर्ण पत्रकारिता का सार तत्व समाहित किया जा सकता है। अतः हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमें अपने वर्तमान और भविष्य को स्वर्णिम और सुखमय बनाना चाहिए, जिससे हमारा देश संसार में आदर्श बन सके। बालक की उन्नति ही समाज और देश की उन्नति है।

मूल शब्द- पत्रकारिता, बालक, समाज, दायित्व, जागृति, भविष्य, मार्गदर्शन

पत्रकारिता समाज के विचारों का प्रतिबिम्ब है और साहित्य की संवाहिका है, जो समाज और साहित्य के इतिहास में अपना विशेष स्थान बनाकर उसका निर्माण करती है। ग्रांटों में समाहित साहित्य से जो संभव नहीं था वह आज पत्र-पत्रिकाओं के साहित्य ने कर दिखाया है। पत्रकारिता रोज रोज लिखा जाने वाला इतिहास है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य "अन्याओं और बेईमानी का उद्घाटन कर, दोषों, कर्मियों, खामियों को उजागर करना, सलाह मशवरा देना और असहाय की सहायता करना और लोगों को मार्गदर्शन करना।" इस तरह रहस्योद्घाटन पत्रकारिता की धड़कन बन जाता है, क्योंकि वे घटनाएँ घटती तो हैं, लेकिन जिन्हे कोई वर्ग व्यक्तिगत हितों के कारण छिपाना चाहता है, उन्हे भी पत्रकारिता उजागर करती है।

पत्रकारिता सम्प्रेषण का सामाजिक माध्यम है। इस वैज्ञानिक युग में पत्रकारिता जनता को दुर्घटनाओं के माध्यम से सचेत करती है और मनोरंजन भी करती है। पूरे समाज की समस्त घटनाओं को प्रतिबिम्बित कर यह स्वयं समाज से प्रभावित भी होता है और समाज को प्रभावित करता ही है। वास्तव में पत्रकारिता वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मस्तिष्क में उस दुनिया के बारे में सूचनाएं और जानकारियाँ एकत्र करते हैं, जिसे स्वयं के प्रयासों से भी जान नहीं सकते।

जीवन की यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा अपने माता-पिता, शिक्षक और चारों तरफ के परिवेश से ही सीखता है। यही वह उम्र होती है जिसमें बच्चे के मास्तिष्क पर किसी भी घटना या सूचना की आमिष छाप पड़ जाती है। बच्चे के आस-पास की परिवेश उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना है। इन तीन उद्देश्यों में सम्पूर्ण पत्रकारिता का सार तत्व समाहित किया जा सकता है। महान शिक्षाविदों का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रटें क्षमता को बढ़ाना न होकर छात्रों की मौलिकता व सृजनात्मकता का विकास होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाल पत्रिका इस दिशा में एक अभिन कदम उठाएगी।